न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 07/2023

बउनवान

रामहेत पुत्र मथुरा, जाति कीर, आयु 43 साल, निवासी भावगढ़, तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री मदनलाल गालव, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 29.08.2023

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 16.03.2023 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम भावगढ तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 290 रकबा 0.32 है., किस्म–बंजड़ पर अतिक्रमी मानकर 160/– रूपये अर्थदण्ड एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को नोटिस की विधिवत् तामिल नही करवाई गई। तथा अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत नोटिस 91 एल.आर.एक्ट एवं राज0 उपनिवेशन अधि0 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस जारी हुआ है, उसमें भी दिनांक 16.02.2023 को उपस्थित होने की सूचना दी गयी थी। तत्पश्चात पुनः नोटिस जारी कर [illegible] 16.03.2023 बाबत् पेशी नियत की गयी। दिनांक 16.03.2023 को अ[illegible] करवाऐ गये इसके बावजूद अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा [illegible] जवाबदेही एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नही देकर विधि विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। [illegible]न अपीलांट के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया [illegible] जिसकी जानकारी [illegible] को नही दी गई। पटवारी हल्का के पास अपीलांट से जुर्माना राशि 19302/– रूपये दिनांक 25.04.2023 को जमा करवा दी गई। एवं अपीलांट की ओर कोई राजस्व राशि बकाया नही है। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.19 11:17:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नही है, जिससे उक्त आराजी से अपीलांट को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 16.03.2023 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाअत कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि उसने जुर्माना जमा करवा दिया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 133/22 निर्णय दिनांक 25.03.2022 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अपील में अपीलांट ने अंकित किया है कि उसने जुर्माना जमा करवा दिया है। अपीलांट को नोटिस की विधिवत् तामिल करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 290 रकबा 0.32 है0 ग्राम भावगढ पर सम्वत् 2078 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 133/22 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2022 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 199/2023 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.19 11:17:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दि[illegible] लिखाया जाकर सुनाया

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां